Gen. No. 13

विविध बैंक प्र0सं0 16/2017 ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, मुख्य शाखा श्रीगंगानगर बनाम 1– मै0 अनेजा इण्डस्ट्रीज, एफ–93से एफ–97 उद्योग विहार रिको, श्रीगंगानगर 2–पवन अनेजा पुत्र श्री जमनादास अनेजा निवासी 2.सी.4सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर 3–नरेश अनेजा पुत्र श्री जमनादास अनेजा निवासी 3.ए.22 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर 4–प्रोमिला रानी अनेजा पत्नि श्री पवन अनेजा निवासी 2.सी.4सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर 5–अनितारानी अनेजा पत्नि श्री नरेश अनेजा निवासी 3.ए.22 ज़वाहरनगर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25–7–2017

प्रार्थी ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के अभिभाषक श्री जितेन्द्र सरपाल उपस्थित है उनके द्वारा फहरिस्त सूचि में अंकित रजिस्ट्री रसीदों की प्रतियां प्रस्तुत की, जो शामिल पत्रावली की गई एवं उनकी बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक का कथन है कि उनके द्वारा एक प्रा0 पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने मैसर्स अनेजा इण्डस्ट्रीज–पार्टनरस पवन अनेजा, नरेश अनेजा, श्रीमति प्रोमिला रानी अनेजा, श्रीमति अनिता रानी अनेजा को ऋण सुविधा के रूप में **दो करोड़ रूपये ऋण** दिनांक 27.06.2005 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थीयान ने मैसर्स अनेजा इण्डस्ट्रीज के स्वामित्व की सम्पति एफ–93 से एफ–97 उद्योग विहार श्रीगंगानगर एवं नरेश कुमार अनेजा व श्रीमति अनिता रानी अनेजा के संयुक्त स्वामित्व की सम्पति आवासीय मकान संख्या 3–ए–22 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर पैमायशी 252 वर्गमीटर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखे। अप्रार्थीगण ऋणीयों द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज का भुगतान समय पर नही किया गया है जिस कारण उनका खाता दिनांक 31.10.2016 को एन.पी.ए. हो गया। अप्रार्थीयान ऋणीयों की ओर दिनांक 31.10.2016 को 96,39,588.41/– रूपये एवंम इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि0 नोटिस दिनांक 05.11.2016 को भिजवाये गये थे नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीयान ऋणीयों द्वारा बैंक की बकाया राशि का भुगतान नही किया गया है। इसलिए अप्रार्थीयान द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी सम्पति मैसर्स अनेजा इण्डस्ट्रीज के स्वामित्व की सम्पति एफ–93 से एफ–97 उद्योग विहार श्रीगंगानगर एवं नरेश कुमार अनेजा व श्रीमति अनिता रानी अनेजा के संयुक्त स्वामित्व की सम्पति आवासीय मकान संख्या 3–ए–22 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर पैमायशी 252 वर्गमीटर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावें।

ह0
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने कुल दो करोड़ रूपये का ऋण दिनांक 27.06.2005 को अप्रार्थी मैसर्स अनेजा इण्डस्ट्रीज पार्टनरस–पवन अनेजा, नरेश अनेजा, श्रीमति प्रोमिला अनेजा एवं श्रीमति अनिता रानी अनेजा के नाम स्वीकृत किया था जिसकी सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थीयान ऋणीयों ने मैसर्स अनेजा इण्डस्ट्रीज के स्वामित्व की सम्पति एफ–93 से एफ–97 उद्योग विहार श्रीगंगानगर एवं नरेश कुमार अनेजा व श्रीमति अनिता रानी अनेजा के संयुक्त स्वामित्व की सम्पति आवासीय मकान संख्या 3–ए–22 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर पैमायशी 252 वर्गमीटर प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। अप्रार्थीगण ऋणीयो द्वारा प्रार्थी बैंक के ऋण राशि का भुगतान नियमित रूप से न किया जाने के कारण उनका ऋण खाता सं0 00704010000690 को दिनांक 31.10.2016 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया और दिनांक 05.11.16 को धारा 13(2) के अन्तर्गत बकाया राशि 96,39,588.41 रू0 जमा करवाने के लिए 60 दिवस का रजि0 ए.डी. नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बैंक के प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण को बैंक द्वारा दिनांक 05.11.2016 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि0 नोटिस की तामील होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणीयों से उक्त नोटिस पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप या कोई अभ्यावेदन बैंक को प्राप्त नही हुआ है और न ही उनके द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी सम्पति मैसर्स अनेजा इण्डस्ट्रीज के स्वामित्व की सम्पति एफ–93 से एफ–97 उद्योग विहार श्रीगंगानगर एवं नरेश कुमार अनेजा व श्रीमति अनिता रानी अनेजा के संयुक्त स्वामित्व की सम्पति आवासीय मकान संख्या 3–ए–22 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर पैमायशी 252 वर्गमीटर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाने की प्रार्थना की गयी है।

चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त भिजवाये गये धारा 13(2) के रजि. ए.डी. नोटिसो के संबंध में प्रस्तुत रजिस्ट्री रसीदें एवं पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी रजिस्टर्ड डाक वितरण के प्रमाण पत्रो की प्रस्तुत प्रतियों एवं प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र के अनुसार रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थीयान ऋणीयों को प्राप्त हो चुके है। इसके बावजूद भी उनके द्वारा बैंक की बकाया उक्त राशि जमा नही करवाई गई है और न ही नोटिस के संबंध में कोई आक्षेप व अभ्यावेदन पेश किया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण ऋणीयों के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास ऋण की सुरक्षा की एवज में बन्धक रखी गयी सम्पति मैसर्स अनेजा इण्डस्ट्रीज के स्वामित्व की सम्पति एफ–93 से एफ–97 उद्योग विहार श्रीगंगानगर एवं नरेश कुमार अनेजा व श्रीमति अनिता रानी अनेजा के संयुक्त स्वामित्व की सम्पति आवासीय मकान संख्या 3–ए–22 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर पैमायशी 252 वर्गमीटर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः प्रार्थी ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीगण ऋणीयों द्वारा प्रार्थी बैंक के पास ऋण की सुरक्षा की एवज में बन्धक रखी गयी सम्पति मैसर्स अनेजा इण्डस्ट्रीज के स्वामित्व की सम्पति एफ–93 से एफ–97 उद्योग विहार श्रीगंगानगर एवं नरेश कुमार अनेजा व श्रीमति अनिता रानी अनेजा के संयुक्त स्वामित्व की सम्पति आवासीय मकान संख्या 3–ए–22 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर पैमायशी 252 वर्गमीटर का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1561-62
18.8.17

यह आदेश आज दिनांक 25–07–2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर